राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स – 0141-2222403, ई-मेल –dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट –www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ 58 ( )अभि / सीई / डीएलबी / 19 / आपदा प्रबन्धन / 87131-87128 दिनांक : 17.9.19

उप निदेशक (क्षेत्रीय),
स्थानीय निकाय विभाग,
समस्त, राजस्थान।

विषय : राज्य में अतिवृष्टि / बाढ़ से हुये नुकसान से सम्बन्धित प्रस्ताव / सूचना प्रेषित करने बाबत।

प्रसंग : विभाग द्वारा पूर्व में प्रेषित समसंख्यक पत्रांक 80568-771 दिनांक 28.08.2019 एवं क्रमांक 82388 दिनांक 06.09.2019 की निरन्तरता में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के क्रम में लेख है कि राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा / बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुये नुकसान (क्षतिग्रस्त सड़कों / जल निकासी हेतु नालियों / पुलियाओं आदि) के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाये गये निर्धारित प्रपत्रों में विभाग को सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये थे किन्तु उक्त सूचनायें / प्रस्ताव, आपदा प्रबन्धन कार्यों हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुमोदन उपरान्त प्रेषित नहीं किये गये है।

अतः आपकी सम्बन्धित नगरीय निकायों से सूचना इकजाई कर निर्धारित प्रपत्रों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुमोदन करवाकर 03 दिवस में निदेशालय की ई-मेल **cedlbjp@gmail.com** पर अविलम्ब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

(उज्जवल राठौड़)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: एफ 58 ( )अभि / सीई / डीएलबी / 19 / आपदा प्रबन्धन / 87134-119 दिनांक 17.9.19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर को दिनांक 5.09.2019 को आयोजित बैठक में दिये गये निर्देशो के क्रम में।
4. निजी सचिव, जिला प्रभारी प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव (समस्त), जयपुर।
5. जिला कलेक्टर्स, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका, समस्त राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि अतिवृष्टि / बाढ़ से हुये नुकसान से सम्बन्धित प्रस्ताव / सूचनाओं को इकजाई कर आज ही सम्बन्धित उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग को आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।
7. मुख्य अभियन्ता / अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता / सम्भागीय अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम (समस्त)।
8. अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम / परिषद (समस्त), समस्त राजस्थान।
9. प्रोग्रामर, आई.टी. सेल, निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(वीरेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता